**बिहार सरकार**
**परिवहन विभाग**

**आदेश**

**पत्रांक–05/स्था0 (ई0ओ0यू0)–03/2017** **पटना, दिनांक–**

श्री अमिताभ कुमार, मोटरयान निरीक्षक, शिवहर के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, पटना द्वारा थाना कांड सं0–17/2017 दिनांक–17.11.2017 दर्ज किया गया है। इनके विरूद्ध पद का दुरूपयोग एवं भ्रष्ट आचरण करते हुए अप्रत्यानुपातिक धनार्जन करने का आरोप लगाया गया है। मामले का अनुसंधान धारा–13 (2) सह पठित 13 (1) (ई) भ्र0नि0अधि0, 1988 के तहत किया जा रहा है। प्राथमिकी में उल्लेखित है कि श्री अमिताभ कुमार की कुल सम्पत्ति उनके ज्ञात वैध श्रोत से लगभग 28,20,451.53 रू0 अधिक है।

2. प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना प्राप्त होने पर श्री अमिताभ कुमार से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग विभागीय पत्रांक–633 दिनांक–29.01.2018 द्वारा की गई। उनका स्पष्टीकरण दिनांक–02.02.2018 को प्राप्त हुआ। स्पष्टीकरण विचारण के पश्चात् असंतोषजनक पाया गया।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (1) (ग) के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का कार्यालय दरभंगा होगा।

4. इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही का संचालन अलग से किया जाएगा।

5. इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ई0–मेल

ज्ञापांक :–05/स्था0 (ई0ओ0यू0)–03/2017 975 पटना, दिनांक :– 07 02 18

प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, शिवहर/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा/जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर एवं दरभंगा/श्री अमिताभ कुमार, मोटरयान निरीक्षक, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।